न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः—**दिव्या** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—342 / 2018

वादपत्र अन्तर्गत धाराः— 188, 53 आर.टी.ए.

1 दौलत सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी 8 / 145 हाउसिंग बोर्ड कॉलानी हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

— वादी

बनाम्

1 नरपत सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी जस्सुपुरा पोस्ट ऑफिस गुनाठु पुलिस स्टेशन लोसल तहसील व जिला सीकर (राज.)
2 दीप सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी जस्सुपुरा पोस्ट ऑफिस गुनाठु पुलिस स्टेशन लोसल तहसील व जिला सीकर (राज.)
3 महावीर सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी जस्सुपुरा पोस्ट ऑफिस गुनाठु पुलिस स्टेशन लोसल तहसील व जिला सीकर (राज.)
4 हरिचरण सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी जस्सुपुरा पोस्ट ऑफिस गुनाठु पुलिस स्टेशन लोसल तहसील व जिला सीकर (राज.)
5 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री दलवीर सिंह — अधिवक्ता वादी
2. श्री प्रद्युमन परमार अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 4
3. राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 5

—:निर्णयः—

दिनांक .....

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाते की भूमि हनुमानगढ तहसील के चक 2 एसएनएम जमाबंदी संवत 2074—77 खाता सं. 130 / 118 प.न. 121 / 267 मु.न. 4 किला नं. 1 ता 25 प्रत्येक सालम तादादी 6.325 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज पटवार कागजात है जिसकी जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण ने वाद की चरण दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि का घराघरू बंटवारा किया हुआ है एवं वादी के हिस्सा में 5 बीघा यानि 1.265 है. भूमि आई है। कृषि भूमि का खाता संयुक्त रहने से बैंक ऋण लेने, नहरी लगान अदा करने, पानी की पर्ची बनवाने आदि में भारी कठिनाइयां होती है एवं राज सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई सुविधाओं से वंचित रहना पडता है। इसलिए वादी वादपत्र की दफा 2 में वर्णित अपने हिस्सा की 1.265 है. कृषि भूमि का खाता अच्छी में से अच्छी व मन्दी में से मन्दी के अनुसार खाता कायम करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

यह है कि वादी द्वारा भूमि का विभाजन का निवेदन करने पर प्रतिवादीगण वादी को धमकी देते है कि वे उसे कृषि भूमि से बेदखल कर देंगे। अगर प्रतिवादीगण अपने उक्त गलत कृत्य में सफल हो गये तो वादी को अत्यधिक क्षति वेदना व अमरिमेय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 ता 4 स्थाई निषेधादेश की डिक्री इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है कि प्रतिवादीगण वादी को उसके हिस्से की 5 बीघा कृषि भूमि से बेदखल करने से निषिद्ध रहे।

यह है कि वादी ने आज से एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादीगण से यह निवेदन किया कि वे वादपत्र की दफा 2 में वर्णित भूमि में से अच्छी मंदी अनुसार बंटवारा कर राजस्व रिकॉर्ड में

Signature Not Verified
Digitally Signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:23:18 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज करवा ले व इसी अनुसार रकमराज अलग करवा ले, लेकिन प्रतिवादीगण इस बात को मानने से कतई इनकार हो गए, यही वाद कारण है।

अतः वादपत्र वादी बहक प्रतिवादीगण कि घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 शाश्वत व्यादेश की डिक्री इस आशय की फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित वादी के हिस्सा की 1.265 है. भूमि में वादी के उपयोग, उपभोग व धारण में एवं कब्जाकाश्त में किसी प्रकार से व्यवधान पैदा करने से बाज रहे। बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 खाता विभाजन की डिक्री इस आशय की फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित वादी के हिस्सा की भूमि में अच्छी मन्दी अनुसार अपना अपना खाता विभाजन कर रकमराज अलग कायम करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता प्रद्यूमन परमार ने वकालतनामा पेश किया। दौराने दावा दिनांक 12.10.23 को वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा राजीनामा पेश हुआ जिसमें–

चक 2 एसएनएम जमाबंदी प.न. 121/267 मु.न. 4 किला नं. 11, 12, 13, 14 के मध्य में 0.020 है. रास्ता रखा जाना स्वीकार किया, इस रास्ते से सभी पक्षकारान अपनी कृषि भूमि में सुविधापूर्वक आ–जा सकेंगे तथा निम्न प्रकार से भूमि विभाजन पर सहमत हुए–

- **वादी दौलत सिंह को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण**– चक 2 एसएनएम प.न. 121/267 मु.न. 4 किला नं. 1–10/0.506, 11/0.253, 20–21/0.506 कुल तादादी 1.245 है.
- **प्रतिवादी सं. 1 नरपत सिंह को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण–** चक 2 एसएनएम प.न. 121/267 मु.न. 4 किला नं. 2–9/0.506, 12/0.233, 19–22/0.506 कुल तादादी 1.245 है
- **प्रतिवादी सं. 2 दीप सिंह को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण–** चक 2 एसएनएम प.न. 121/267 मु.न. 4 किला नं. 3–8/0.506, 13/0.233, 18–23/0.506 कुल तादादी 1.245 है.
- **प्रतिवादी सं. 3 महावीर सिंह को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण–** चक 2 एसएनएम प.न. 121/267 मु.न. 4 किला नं. 4–7/0.506, 14/0.233, 17–24/0.506 कुल तादादी 1.245 है.
- **प्रतिवादी सं. 4 हरिचरण सिंह को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण–** चक 2 एसएनएम प.न. 121/267 मु.न. 4 किला नं. 5, 6 15 16 25 कुल तादादी 1.265 है. का राजीनामा हाजिर न्यायालय आकर पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 4 सुनी गई। राजीनामा पेश होने के कारण न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद नहीं है अतः तनकीयात की भी आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा कि चक 2 एसएनएम जमाबंदी 2074–77 खाता सं. 58/118 प.न. 121/267 मु.न. 4 किला नं. 11, 12, 13, 14 के मध्य में 0.020 है. रास्ता रखा जाना स्वीकार किया, इस रास्ते से सभी पक्षकारान अपनी कृषि भूमि में सुविधापूर्वक आ–जा सकेंगे तथा निम्न प्रकार से भूमि विभाजन पर सहमति पर वाद पत्र डिक्री किया जाता है किः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:23:18 IST
Reason: SelfAttested

- **वादी दौलत सिंह को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण**– चक 2 एसएनएम प.न. 121/267 मु.न. 4 किला नं. 1–10/0.506, 11/0.253, 20–21/0.506 कुल तादादी 1.245 है.
- **प्रतिवादी सं. 1 नरपत सिंह को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण**– चक 2 एसएनएम प.न. 121/267 मु.न. 4 किला नं. 2–9/0.506, 12/0.233, 19–22/0.506 कुल तादादी 1.245 है
- **प्रतिवादी सं. 2 दीप सिंह को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण**– चक 2 एसएनएम प.न. 121/267 मु.न. 4 किला नं. 3–8/0.506, 13/0.233, 18–23/0.506 कुल तादादी 1.245 है.
- **प्रतिवादी सं. 3 महावीर सिंह को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण–** चक 2 एसएनएम प.न. 121/267 मु.न. 4 किला नं. 4–7/0.506, 14/0.233, 17–24/0.506 कुल तादादी 1.245 है.
- **प्रतिवादी सं. 4 हरिचरण सिंह को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण**– चक 2 एसएनएम प.न. 121/267 मु.न. 4 किला नं. 5, 6 15 16 25 कुल तादादी 1.265 है.

उक्तानुसार खाता अलग अलग व रकमराज अलग कायमी को आदेश दिए जाते है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोटः– प्रश्नगत रकबा रहन मुक्त होने पर निर्णय की पालना की जावें।

(दिव्या)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:23:18 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–**दिव्या** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–342/2018

1 दौलत सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी 8/145 हाउसिंग बोर्ड कॉलानी हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

– वादी

बनाम्

1 नरपत सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी जस्सुपुरा पोस्ट ऑफिस गुनाठु पुलिस स्टेशन लोसल तहसील व जिला सीकर (राज.)

2 दीप सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी जस्सुपुरा पोस्ट ऑफिस गुनाठु पुलिस स्टेशन लोसल तहसील व जिला सीकर (राज.)

3 महावीर सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी जस्सुपुरा पोस्ट ऑफिस गुनाठु पुलिस स्टेशन लोसल तहसील व जिला सीकर (राज.)

4 हरिचरण सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी जस्सुपुरा पोस्ट ऑफिस गुनाठु पुलिस स्टेशन लोसल तहसील व जिला सीकर (राज.)

5 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 188, 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ दिव्या आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री दलवीर सिंह वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री प्रद्युमन परमार वकील प्रतिवादीगण 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः–

- **वादी दौलत सिंह को प्राप्त कब्जा काश्त कृषि भूमि का विवरण– चक 2 एसएनएम प.न. 121/267 मु.न. 4 किला नं. 1–10/0.506, 11/0.253, 20–21/0.506 कुल तादादी 1.245 है.**
- **प्रतिवादी सं. 1 नरपत सिंह को प्राप्त कब्जा काश्त कृषि भूमि का विवरण– चक 2 एसएनएम प.न. 121/267 मु.न. 4 किला नं. 2–9/0.506, 12/0.233, 19–22/0.506 कुल तादादी 1.245 है**
- **प्रतिवादी सं. 2 दीप सिंह को प्राप्त कब्जा काश्त कृषि भूमि का विवरण– चक 2 एसएनएम प.न. 121/267 मु.न. 4 किला नं. 3–8/0.506, 13/0.233, 18–23/0.506 कुल तादादी 1.245 है.**
- **प्रतिवादी सं. 3 महावीर सिंह को प्राप्त कब्जा काश्त कृषि भूमि का विवरण– चक 2 एसएनएम प.न. 121/267 मु.न. 4 किला नं. 4–7/0.506, 14/0.233, 17–24/0.506 कुल तादादी 1.245 है.**
- **प्रतिवादी सं. 4 हरिचरण सिंह को प्राप्त कब्जा काश्त कृषि भूमि का विवरण– चक 2 एसएनएम प.न. 121/267 मु.न. 4 किला नं. 5, 6, 15, 16 25 कुल तादादी 1.265 है.**

चक 2 एसएनएम जमाबंदी 2074–77 खाता [illegible] 18 प.न. 121/267 मु.न. 4 किला नं. 11, 12, 13, 14 प्रत्येक के मध्य [illegible] 0.020 हे. [illegible] जाना स्वीकार किया, इस रास्ते से सभी पक्षकारान अपनी कृषि भू[illegible] आ–जा सकेंगे। उक्तानुसार खाता अलग अलग व रकमराज अलग कायम रकने के आदेश [illegible]ए जाते है इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:23:18 IST
Reason: Self Attested

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ..... को जारी किया गया।

नोटः– प्रश्नगत रकबा रहन मुक्त होने पर डिक्री का निष्पादन किया जावें।

(दिव्या)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:23:18 IST
Reason: SelfAttested